चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 10.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड से दौड़ लगवायी गयी तथा व्यायाम कराये गये। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण बारी - बारी ड्रिल करवाकर ड्रिल को देखा गया साथ ही आर0टी0सी0 कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु बताया गया तथा प्रभारी आरआई एवं प्रभारी आरटीसी को आवश्यक आदेश निर्देश दिए। तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द,परिवहन शाखा,बैरिक,सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कमियों में सुधार हेतु बताया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी के मार्गदर्शन में थाना मारकुण्डी टीम द्वारा चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा करते हुए 02 चोर को चोरी के 07 बकरियों सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.अबरान उर्फ बिगो खान पुत्र रिजवान उर्फ गफ्फार खान उम्र 20 वर्ष निवासी बरगढ़ मण्डी के पीछे थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट।

2. धानी उर्फ मुखबल खान पुत्र स्व0 उज्जल खान उम्र 18 वर्ष निवासी बरगढ़ मण्डी के पीछे हाल पता कन्धरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट।

बरामदगीः-

07 अदद बकरिया बरामद

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

रामसैया तिराहे से भरतकूप की तरफ कुछ आगे, दिनांक 01.03.2026 समय 01.40 am बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह,उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह आरक्षी लालू यादव,आरक्षी मंगला प्रसाद व आरक्षी अमित तिवारी द्वारा थाना हाजा में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 07/2026 धारा 331(4),305,325 बीएनएस,मु0अ0सं0 55/2025 धारा 309(6) बीएएस व मु0अ0सं0 53/2026 धारा 303(2) बीएनएस की मुकदमों में पतारसी सुरागरसी में माल मुल्जिमान बरामद करने रवाना हुए थे कि जरिये मुखविर सूचना मिली की जगन्नाथपुरम थाना क्षेत्र मारकुण्डी में हुई बकरी चोरी से सम्बन्धित कुछ चोर बकरियों को लेकर आजकल में मझगवां सतना म0प्र0 जाने वाले है। इस सूचना पर ग्राम कन्धरा,ग्राम लखनपुर एवं ग्राम गाढ़ा कटरा में भ्रमणशील होकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि भोर में ग्राम कन्धरा से कुछ लोग बकरियों को लादकर ले जाते है। दिनांक 09.03.2026 को बाईपास रोड मझगवाँ मण्डी तलाब के पास 02 व्यक्ति बकरियों को रोके हुए थे। दोनों व्यक्तियों को घेरकर रोककर नाम पता पूंछते हुए बकरियों के बारे में पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.अबरान उर्फ बिगो खान पुत्र रिजवान उर्फ गफ्फार खान उम्र 20 वर्ष निवासी बरगढ़ मण्डी के पीछे थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट तथा दूसरे ने अपना नाम 2. धानी उर्फ मुखबल खान पुत्र स्व0 उज्जल खान उम्र 18 वर्ष निवासी बरगढ़ मण्डी के पीछे हाल पता कन्धरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट बताया गया। बरामद बकरियों के बारे में वादी के लड़के से सम्पर्क कर बुलाया गया तो वादी का लड़का बकरियों को पहचान गया। पूंछताछ में अबरान ने बताया कि हम दोनों मामा भांजा साथ में सलमान खान पुत्र अज्ञात के साथ तीनों लोग मिलकर जगन्नाथपुरम गाँव में दो घरों में चोरी किये थे। एक घर में से 6000/- नगद तथा कुछ जेवरात मिला था। दुसरे घर में पीछे से सेंधमारकर दो दर्जन बकरियों को चोरी कर लिये थे। चोरी करते समय बकरियों के बच्चे चिल्ला रहे थे तो 05 छोटे-छोटे बकरियों के बच्चों का गला काटकर घर के अन्दर ही छोड़ दिये थे। शेष बकरियों को हाककर रोड की तरफ ले आये तथा रोड पर खाली जा रही पिकअप को हाथ देकर रूकवाकर उसमें लादकर ले गये थे। ड्राइवर का नाम पता गाड़ी नम्बर नही मालूम है। जेवरातों को एक अंजान व्यक्ति को बेंच दिया था। कुछ बकरियों को बेच दिया है। शेष बची 07 बकरियों को बेचने हेतु सलमान सौदा तय करने गया है कि आप लोगों ने हम दोनों मामा भांजा को पकड़ लिया। अभियुक्तों की

बारी-बारी पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो अबरान के पास से 3200 रूपया व धानी उर्फ मुखबल के पास से 1800/- रूपया मिला,जिसके बारे में पूछने पर दोनों ने बताया कि डोडामाफी व जगन्नाथपुरम में बकरी चोरी का रूपया है। बरामद शेष रूपयो के बारे में पूछने पर बताये कि इस घटना के पूर्व कुसुमी के जंगल से मारपीट कर बरेदियों जंगल में हाथ पैर बाधकर छोड़े गये 02 व्यक्तियों की 26 बकरियों को हमदोनों,काऊ उर्फ नेगम अली तथा सलमान मिलकर छिन लिए थे। तभी पुलिस की जानकारी होने पर जंगल में ही छोड़कर चले गये थे तथा इसके पूर्व डोडामाफी के मूरली जंगल से हम दोनों,काऊ उर्फ नेगम और समलान बरेदियों को बातों में फसाचकर उनके 29 बकरियों को चुराकर ले गये थे। । जिससें क्रमशः अभियोग मु0अ0सं0 07/2026 धारा 331(4),305,325 बीएनएस,मु0अ0सं0 55/2025 धारा 309(6) बीएएस व मु0अ0सं0 53/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। 07 बकरियों व 5000/- रूपये बरामद होने पर तीनों मुकदमों में धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना मारकुण्डी

2.उ0नि0 रमेश सिंह

3.आरक्षी लालू यादव

4.आरक्षी मंगला प्रसाद

5.आरक्षी अमित तिवारी

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 10.03.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 144/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त विमलेश कुमार राजपूत पुत्र राजाराम राजपूत निवासी औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5553/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.03.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 176/20 धारा 504,506 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त विकोदर सिंह उर्फ दीपक कुमार पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 14.12.2020 को एक वादी द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त विकोदर सिंह उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ धमकाकर अरहर के खेत में ले जाकर बलात्कार करना व गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देना किया। इस सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 176/20 धारा 504,506 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री टीकाराम वर्मा द्वारा सम्पादित की गयी थी। अभियुक्त को दिनाँक 16.12.2020 को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 08.01.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 सुरेश प्रताप सिंह द्वारा अ0सं0 1062/08 धारा 379,504,506,429,201 भादवि के वारंटी अभियुक्त रामजी पुत्र हनुमान निवासी सिकरिया थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।